न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
3/40/2022	06.05.2022	18.05.2022

बउनवान

–राकेश कुमार बैरवा पुत्र श्री दुलीचन्द बैरवा जाति बैरवा निवासी नई बस्ती दिवाकरी तहसील व जिला अलवर राज0 --- वादी

बनाम

1–तहसीलदार (भू अभिलेख अधिकारी) साहब अलवर तहसील कार्यालय मिनि सचिवालय भवानी तोप सर्किल सरस डेयरी के पास अलवर राज -- प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 671 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 672 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 673 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 674 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल खसरा 4 रकबा 0.4700 हैक्टेयर खाता संख्या नया 28 वाके ग्राम बहादरपुर पटटी कानूनगो तहसील व जिला अलवर राज0 में स्थित है। उपरोक्त आराजी का मिन वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। मिन वादी की उपरोक्त आराजी से लगती हुई अन्य आराजीयात के खातेदारान मुठमर्द व लडाका किस्म के आदमी है तथा आये दिन आराजी के कम या अधिक रकबे को लेकर झगडा फसाद करते रहते है तथा मिन वादी की आराजी का रकबा अपनी आराजी में शामिल कर कब्जा करने की कोशिश व जुस्तजू में रहते है। उक्त आराजी का सीमाज्ञान नही होने व पत्थरगढी नही होने के कारण आये दिन झगडा फसाद व खून खराबा होने का अंदेशा रहता है। जबकि मिन वादी अपनी आराजी पर काबिज है और काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त स्थिति में मिन वादी का शांति पूर्वक काश्त करना सम्भव नही है तथा मिन वादी अपनी खातेदारी की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त करना चाहता है तथा मिन वादी व अन्य पडोसियान के मध्य रकबे व डोल आदि को लेकर कहा सुनी होती रहती है। इसलिए मिन वादी विधि अनुसार अपनी आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी कराना चाहता है। मिन वादी ने विधि अनुसार आराजी का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया लेकिन आज तक ना तो सीमाज्ञान कराया है और नाही पत्थरगढी करायी गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी को वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 671 रकबा 0. 1400 हैक्टेयर, 672 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 673 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 674 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल खसरा 4 रकबा 0.4700 हैक्टेयर खाता संख्या नया 28 वाके ग्राम बहादरपुर पटटी कानूनगो तहसील व जिला अलवर राज0 का विधिवत मुस्तकिल पॉईट कायम कराया जाकर सीमा ज्ञान कराये जाने एवं पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर उप तहसीलदार बहादरपुर को प्रश्नगत आराजी की पैमाईश ...खा गया उप तहसीलदार बहादरपुर ने प्रश्नतगत आराजी की पैमाईश कर मौका पर्चा ...स्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी हाल खसरा नम्बर 671 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 672 ...रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 673 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 674 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल खसरा 4 रकबा 0.4700 हैक्टेयर वाके ग्राम बहादरपुर पटटी कानूनगो तहसील अलवर का प्रार्थी खातेदार है।

प्रश्नगत आराजी की उप तहसीलदार बहादरपुर द्वारा एवं पटवारी हल्का बहादरपुर पटटी जोडिया द्वारा दिनांक 16.05.2022 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान से प्रार्थी सन्तुष्ट है। एवं सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थी पत्थरीगढी कराना चाहता है। पटवारी हल्का की रिर्पोट दिनांक 16.05.2022 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। उप तहसीलदार बहादरपुर को आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी खसरा 671 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 672 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 673 रकबा 0. 0300 हैक्टेयर, 674 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल खसरा 4 रकबा 0.4700 हैक्टेयर वाके ग्राम बहादरपुर पटटी कानूनगो उप–तहसील बहादरपुर तहसील अलवर की मुताबिक पैमाईश रिर्पोट पत्थरगढी करवाया जान सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उप–तहसील बहादरपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर